

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
विकास आयुक्त का कार्यालय  
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India  
Ministry of Commerce & Industry  
Office of the Development Commissioner  
SEEPZ Special Economic Zone  
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

परिपत्र सं. 35/2025

विषय: 15 अगस्त, 2025 को सभी अधिकारी/कर्मचारियों एवं आउटसोर्स स्टॉफ की उपस्थिति अनिवार्यता के संबंध में।

यह सूचित किया जाता है कि 15 अगस्त, 2025 (शुक्रवार) को इस कार्यालय में ध्वजारोहण समारोह एवं संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

दिनांक 15.08.2025 को सभी अधिकारी/कर्मचारी एवं समस्त आउटसोर्स स्टॉफ की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उक्त दिवस को उपस्थिति प्रयोजनों हेतु कार्य दिवस माना जाएगा।

उपस्थिति का समय 08:30 बजे परिसर में होगा। मिनिट-टू-मिनिट कार्यक्रम विवरण आंतरिक समूहों पर पृथक रूप से प्रसारित किया जाएगा। सभी कार्मिक औपचारिक परिधान में उपस्थित हों।

सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, आपात/अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर, कोई अवकाश/छूट स्वीकृत नहीं की जाएगी।

उपस्थित होने वालों के लिए दिशानिर्देश परिशिष्ट-I में संलग्न हैं, जिनका कड़ाई से अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

मयूर मानकर

(मयूर मानकर)

संयुक्त विकास आयुक्त  
सीपज़-सेज़, मुंबई

फा. सं. SEEPZ-SEZ/ADMIN/N.E/432/2014-15/Vol-I/10538

दिनांक: 12.08.2025

प्रति:

1. सीपज़-सेज़ के समस्त अधिकारी/कर्मचारी
2. DCO / JDCO / DDCO / SO
3. कार्यालय आदेश फाइल/रजिस्टर
4. सीपज़-सेज़ वेबसाइट
5. सूचना पट्ट

**परिशिष्ट-I: स्वतंत्रता दिवस समारोह (15.08.2025) हेतु प्रतिभागी दिशानिर्देश**

1. 08:30 बजे तक परिसर में रिपोर्ट करें।
2. परिधान: औपचारिक/कार्यालयीन।
3. स्थल पर अनुशासन बनाए रखें; मोबाइल फ़ोन साइलेंट पर रखें।
4. ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के दौरान: ध्वज की ओर मुख कर सावधान की स्थिति में खड़े रहें; वर्दीधारी कर्मी उचित सलामी दें।
5. ध्वज शिष्टाचार: ध्वज का उचित अभिमुखीकरण एवं सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करें; ध्वज को बंटिंग/सजावट के रूप में या पोडियम/रेलिंग पर न लपेटें; क्षतिग्रस्त/मलिन ध्वज का प्रदर्शन न करें।
6. सामग्री: पॉलिएस्टर एवं मशीन-निर्मित ध्वज स्वीकार्य हैं; प्लास्टिक ध्वज निषिद्ध हैं। कार्यक्रम के उपरांत ध्वज का सम्मानपूर्वक निस्तारण फ़्लैग कोड/गृह मंत्रालय की सलाह के अनुसार करें।
7. प्रवेश एवं निर्गमन सुव्यवस्थित रखें।



भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
विकास आयुक्त का कार्यालय  
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India  
Ministry of Commerce & Industry  
Office of the Development Commissioner  
SEEPZ Special Economic Zone  
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

**CIRCULAR No. 35/2025**

**Sub.:- Compulsory presence of all officers/officials and outsourced staff on 15<sup>th</sup> August, 2025 — reg.**

It is hereby informed that Independence Day, 15<sup>th</sup> August, 2025 (Friday), will be observed in this office with a flag-hoisting ceremony and related programme.

Presence of all Officers/Officials and all Outsourced Staff is compulsory on 15.08.2025. The day shall be treated as a working day for attendance purposes.

Reporting time shall be 08:30 hrs at the premises. Minute to minute programme details will be circulated on internal groups separately. All personnel must be in formal attire.

No leave/exemption shall be granted except in cases of exigency, with prior written approval of the competent authority.

Attendee guidelines are enclosed at Annexure-I and shall be strictly followed by all attendees.

  
12-8-25

(Mayur Mankar)  
Joint Development Commissioner  
SEEPZ-SEZ, Mumbai

**F. No. SEEPZ-SEZ/ADMIN/N.E/432/2014-15/Vol-I/10538**

**Date:- 12.08.2025**

To:

1. All Officers / Officials of SEEPZ-SEZ
2. DCO / JDCO / DDCO / SO
3. Office Order File / Register
4. SEEPZ-SEZ Website
5. Notice Board

**Annexure-I: Attendee Guidelines for Independence Day Function (15.08.2025)**

1. Report by 08:30 hrs at the premises.
2. Dress code: formal/office wear.
3. Maintain decorum at the venue; mobiles on silent.
4. During Flag hoisting and National Anthem: face the Flag and stand at attention; those in uniform render the appropriate salute.
5. Flag etiquette on premises: do not use the National Flag as bunting/decoration or drape it on podiums/railings; ensure correct orientation and position of honour at all displays; do not display damaged or dishevelled flags.
6. Materials: polyester and machine-made flags are permitted. Plastic flags are not permitted. Arrange respectful handling and disposal of flags after the event as per the Flag Code/MHA advisories.
7. Maintain orderly entry/exit.